ग्राम पंचायत सारमा, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का
लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सारमा, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती सीमा देवी	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री अश्वनी कुमार	23.1.16 से अद्यतन

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री सुख राम	1.4.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः–

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	9.15
2	11	निविदाओं की औपचारिकता पूण्र किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.28
3	16 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.68

भाग–दो

2 ग्राम पंचायत सारमा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा विकास खण्ड कार्यालय, कुनिहार में किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 02/14, 02/15 व 04/15 तथा व्यय हेतु माह 2/14, 03/15 व 5/15 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत सारमा के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक का अंकेक्षण ₹5000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01 दिनांक 03.4.2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः–

(i) ग्राम पंचायत सारमा के स्व स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	762231.26	384729	1146960.26	309869	837091.26
2014–15	837091.26	416913	1254004.26	244296	1009708.26
2015–16	1009708.26	630032	1639740.26	252361	1387379.26

(ख) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत सारमा के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	52865	300042	352907	352149	758
2014–15	758	151617	152375	152549	–174
2015–16	–174	151960	151786	151960	–174

परिशिष्ट "क"

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना:–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹122470.50 का अन्तर पाया गया जिसका समाधान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.16 को शेष	दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अन्तर
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	1387379.26	1265082.76	122296.50
2	मनरेगा	–174	0	174
			कुल योग	122470.50

विभिन्न बैंकों में दिनांक 31.3.2016 को उपलब्ध राशि का विवरण निम्न्ुसार है।

Detail of opening balance as on 01.04.13 (As per trial balance 2012-13)

शीर्ष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	दिनांक 31.3.16 को शेष राशि
General	Post Office Materi	901776	2071.65

G.P. Saarma

(जनरल)	JCC Bank Kunihaar	101034001004752	115.00
	-do-	101034001005402	731873.00
	-do-	101034001000929	24915.00
	-do-	662680	2900.00
	SBOP Pariala		356.61
	Cash in hand		
		Total	**762231.26**
मनरेगा Manrega	JCC Bank Kunihaar	101034001000327	52865 (as per Cash Book)

दिनांक 31.3.16 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत राशि का विवरण

शीर्ष	**बैंक/डाकघर का नाम**	**खाता सं0**	**दिनांक 31.3.16 को शेष राशि**
(General)	Post Office Materi	901776	2071.65
जनरल	JCC Bank Kunihaar	101034001004752	284266.00
	-do-	101034001005402	938765.50
	-do-	101034001000929	36337.00
	SBOP Pariala	662680	2900.00
	Cash in hand		742.61
		कुल योग	**1265082.76**

नोटः– दिनांक 31.3.16 को बैंकों के अन्तिम शेष को पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया है।

6 बैंक तथा डाक घर खातों में दिनांक 31.3.2016 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

कई बार आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंकों/डाक घर में दिनांक 31.3.2016 को उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र बैकों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.2016 को दर्शाए गए शेषों के सही होने सम्बन्धी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**31.3.2016 को जमा राशि**
Post office Materi	901776	2071.65
JCC Bank Kunihaar	101034001005402	938765.50
SBOP	662680	2900.00

G.P. Saarma

7 रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः—

(i) रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जायेगें और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम—3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता ख जाना जाएगा, परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ बही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु दो रोकड़ बहियाँ अलग से लगाई गई थी। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधना व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों के अनुसार सचिव व प्रधान द्वारा प्रति माह दिये जाने वाले प्रमाण पत्र भी दर्ज नहीं किये जा रहे थे तथा न ही बिल/वाउचर पर प्रस्तुत संख्या इत्यादि का विवरण दिया जा रहा था। अतः भविष्य में पंचायती राज के नियमों अनुसार रोकड़ बही का लिखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 अनुदानः—

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹914636 शेष दर्शाया गया था। जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना

G.P. Saarma

पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2016 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कायों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2016 को शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव तथा नियमित रूप से Update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व सम्बन्धी अनियमितताएंः–

भू–राजस्व की प्राप्ति न होनाः–

ग्राम पंचायत को वर्ष 2013–14 तथा 2015–16 से सम्बन्धित भू राजस्व की सम्बन्धित विभाग से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राक्कलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारेः–

कई बार आग्रह करने के पश्चात भी हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिये गये निर्देशों के अनुसार चयनित मासों से सम्बन्धित निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्राक्कलन (estimate) उनकी प्रशासनिक एवं तकनीकी

स्वीकृतियाँ आकलन एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ तथा किये गये कार्य का आंकलन (Assessment) नहीं दर्शाए गए। जिसके फलस्वरूप किये गये व्ययों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**निर्माण कार्य का नाम**	**प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति राशि**	**प्राक्कलन (Estimate)**	**सम्बन्धित माप पुस्तिका में प्रविष्टियाँ/आंकलन**
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	03/15	निर्माण स्नानागार मडेरना	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाया गया	नहीं दर्शाई गई
		निर्माण स्नानागार दवारी	–यथोपरि–	–यथोपरि–	–यथोपरि–
मनरेगा	02/14	L/D श्री नन्द लाल पुत्र श्री सुरतु	50000	–यथोपरि–	–यथोपरि–
		सिंचाई कुहल उपरली दवाली	150000	–यथोपरि–	–यथोपरि–
		L/D श्री चाँद लाल पुत्र तुलसी	50000	–यथोपरि–	–यथोपरि–
		L/D श्री राजू पुत्र श्री गंगा	50000	–यथोपरि–	–यथोपरि–
		C/D बैनसक नाला	50000	–यथोपरि–	–यथोपरि–
	05/15	श्री L/D श्री भीम चाँद पुत्र सुंदर	नही दर्शाई गई	–यथोपरि–	–यथोपरि–
		श्री L/D श्री मदन लाल पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द	–यथोपरि–	–यथोपरि–	–यथोपरि–
		श्री L/D श्री भगत राम पुत्र सुरजू	–यथोपरि–	–यथोपरि–	–यथोपरि–

(ii) सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के आंकलन (Assessment) के बिना भुगतान करना:–

निर्माण कार्यों सम्बन्धी भुगतान से पूर्व सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा कार्यों का आंकलन (Assessment) किया जाता है तथा उसके पश्चात ही भुगतान किया जा सकता है। परन्तु व्यय की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित कुछ मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य के आंकलन (Assessment) उपरान्त भुगतान की जाने वाली राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के आंकलन के बिना इन निर्माण कार्यों हेतु किये गये भुगतानों को सही नहीं माना जा सकता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर

G.P. Saarma

अवगत करवाया जाये। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	मस्टर रोल सं0
मनरेगा	02/14	79	1750	2235
			1750	2604

11 क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.28 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नानुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹28300 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्वस्त्रोत तथा अनुदान (सामान्य)	03/15	123	6300	इंटे
			2250	रेत
			5600	दरवाजे
			6300	इंटे
			2250	रेत
			5600	दरवाजे
		कुल योग	**28300**	

12 ₹0.39 लाख की खेलकूद सामग्री के क्रय सम्बन्धी अनियमितता बारेः—

अंकेक्षण के दौरान यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत को खेलकूद अनुदान के अन्तर्गत ₹39000 प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत ने इस राशि से माह 03/15 (रोकड़ बही स्व

G.P. Saarma

स्त्रोत तथा अनुदान, पृष्ठ संख्या 122) में City Sales, Shimla से खेल कूद की सामग्री क्रय की थी। पंचायत के अनुसार यह सामग्री दर संविदा (Rate Contract) के आधार पर की थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश, भण्डार क्रय द्वारा City Sales, Shimla के पक्ष में जारी दर संविदा के आधार पर खेलकूद समग्री के विक्रय के लिए अधिकृत किये जाने से सम्बन्धित कोई पत्र नहीं दर्शाया गया जिस कारण वस्तुओं का क्रय दर संविदा की मान्यता (Validity) के दौरान किया गया था। इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित उपरोक्त दस्तावेज आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय किये गए मेटीरियल तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतियाँ प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अलावा कुछ मस्टर रोल्स में सभी तथा कुछ में एक या दो श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान (सामान्य)	03/15	123	6300	इंटे
			2250	रेत
			5600	दरवाजे
			6300	इंटे
			2250	रेत
			5600	दरवाजे
मनरेगा	02/14	79	(19182+1932)	मस्टर रोल संख्या 2236
			6624	2409
			5796	2233
			2450	2603

		16008	2601
		12558	2604 & 2605
		15456	2603
		11592	2602
		207	BDO कुनिहार
05/15	95	10472	मस्टर रोल संख्या 1907
		11858	1908
		14476	1909
		15246	2019
		11858	2018
		13090	2141
		1088	2020
		17710	2142
		10859	25
		6480	110

14 अनियमित रूप से ₹0.30 लाख की अग्रिम अनियमित रूप से जारी करनाः–

यह प्रतीत होता है कि विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु राशि जारी करते समय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 107 में दिए गये निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। नियम में दिए गए निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु राशियाँ Participatory body या Registered body के माध्यम से जारी की जानी अपेक्षित है। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय का भुगतान मस्टर रोल तथा मैटीरियल के वास्तविक बिलों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु निम्नलिखित प्रकरण में पाया गया कि निर्माण कार्य कार्यान्वयन हेतु व्यक्तिगत रूप से अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी जबकि नियम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनयमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाने के साथ–2 इस राशि का समायोजन भी आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए। भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

G.P. Saarma

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	अग्रिम राशि	टिप्पणी
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	03/15	123	30000	अग्रिम राशि प्रधान को जारी

15 पंचायत सचिव को किये गये ₹8558 के TA/DA के भुगतान बारेः–

माह 03/14 में (रोकड़ बही सामान्य पृष्ठ संख्या 123 तथा 124) में पंचायत सचिव को ₹8558 (2604+2748+3206) TA/DA के भुगतान का भुगतान किया गया था, परन्तु TA/DA के भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 स्टोर/स्टॉकः–

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार क्रय की गई विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्व स्त्रोत तथा अनुदान (सामान्य)	2/14	78	280	स्टेशनरी
			185	पेंट मैटीरियल
			48	स्टेशनरी

G.P. Saarma

03/15	123	39000	खेलकूद सामग्री
		6300	ईंटें
		2250	रेत
		5600	दरवाजे
		6300	ईटें
		2250	रेत
		5600	दरवाजे
	कुल योग	**67813**	

17 विविधः–

(i) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं किया जा रहा था। रसीद बुक रजिस्टर (पृष्ट संख्या 4 तथा 5) के स्तम्भों को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था तथा रजिस्टर में रसीद बुकों के शेषों से सम्बन्धित स्थिति भी नहीं दर्शाइ जा रही थी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पचांयत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

G.P. Saarma

(iii) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार/पारित करवाया जाना तथा विहित फार्म "11" पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

(क) अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने के बावजूद पंचायती राज नियम 2002 के नियम 102 (4) के अन्तर्गत प्रावधित मस्टर रोल जारी (issue) रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो इस रजिस्टर का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है या इसे नियमित रूप से update नहीं किया गया था। इस कारण चयनित मासों में जिन मस्टर रोल्स द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु भुगतान किया गया था उन मस्टर रोल्स की संख्या जिन निर्माण कार्य हेतु वे जारी किये गये थे, उनकी अवधियों तथा क्रमवार प्रयोग होने सम्बन्धी तथ्यों की पुष्टि नहीं की जी सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) यह भी पाया गया कि कई प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा निर्माण कार्यों का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कई मस्टर रोल्स पर आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) सावधि निवेशः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

G.P. Saarma

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य रजिस्टर, अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर रजिस्टर, खाता बही आदि आग्रह करने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका नियमानुसार रख रखाव/Update नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार/निर्देशानुसार सभी रजिस्टर का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारेः–

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पचांयत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तोवज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलबध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(viii) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण भुगतान/जमा/समायोजन सम्बन्धी आवश्यक पड़ताल नहीं जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि**	**विवरण**
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	05/15	131	10000	अध्यक्ष ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वस्थ्य को दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा राशि के उपयोग हेतु निर्धारित मानदंड नहीं दर्शाए गए
	03/15	123	1700	भुगतान सम्बन्धी वाउचर
मनरेगा	02/14	79	5382	मस्टर रोल संख्या 1848

G.P. Saarma

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः—** खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 2162017—खण्ड—1—7157—7160 दिनाँक 08.12.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत सारमा विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881